कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री मैजिक इण्टरनेशनल प्रा0 लि0, ब्लाक-26E, सेक्टर,31, कासना इण्डस्ट्रियल एरिया, सूरजपुर, ग्रेटर, नोएडा।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**011 / 12, 13.02.2012**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री मैजिक इण्टरनेशनल प्रा0 लि0, ब्लाक-26E, सेक्टर,31, कासना इण्डस्ट्रियल एरिया, सूरजपुर, ग्रेटर, नोएडा द्वारा दिनांक 13.02.2012 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछ गये हैं :-

(1) Whether goods paper purchased and sent out of India for Export, after manufacturing will be exempted from payment of entry tax.

(2) Whether situation will be different from above query if paper brought in to the state for job work by way of other than purchase and the delivery of final goods after job work i.e. printing or binding has been given to any person in to the state for out of U.P. situated customer.

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 12.06.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा पेपर एवं पेपर उत्पादों की छपाई तथा प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं। इनके द्वारा प्रान्त बाहर से पेपर का आयात किया जाता है तथा नोटबुक, लिफाफा, पत्रिकाएं एवं पुस्तकों इत्यादि का निर्माण किया जाता है। इनके द्वारा कुछ उत्पादित माल देश के बाहर निर्यात भी किया जाता है। कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के द्वारा प्रवेश कर के सम्बन्ध में जारी सर्कुलर संख्या-0910006, दिनांक 17.04.2009 का हवाला देते हुए कहा गया है कि देश के बाहर निर्यात से सम्बन्धित माल पर जमा किये गये प्रवेश कर की वापसी होनी चाहिए।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पत्र संख्या-13, दिनांक 04.04.2012 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि यदि पेपर को लोकल एरिया में लाये जाने के बाद उससे प्रिन्टिंग बाइडिंग जैसी निर्माण प्रक्रिया अपनाने के बाद ऐसे उत्पाद का निर्माण किया जाता है तो ऐसे पेपर पर यदि निर्माता 100% एक्सपोर्ट ओरियन्टेड निर्माता नहीं है तो उस पर ऐसे पेपर के सापेक्ष प्रवेश कर की देयता होगी। और उसके सम्बन्ध में शासकीय विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-3238 / XI-22-10-2001 के प्राविधान लागू नहीं होंगे क्योंकि उक्त शासकीय विज्ञप्ति केवल 100% एक्सपोर्ट ओरियन्टेड निर्माताओं के लिए ही लागू है। प्रश्नगत व्यापारी 100% एक्सपोर्ट ओरियन्टेड निर्माता नहीं है। अत: उनकी

....2

उक्त क्रम में पेपर के लोकल एरिया में लाये जाने पर प्रवेश कर की देयता होगी।

संगत प्रकरण में व्यापारी द्वारा प्रान्त बाहर से पेपर का आयात करते हुए इसको एक प्रोसेसिंग अर्थात प्रिन्टिंग बाइडिंग करने का जॉब किया गया है। स्पष्ट है कि लोकल एरिया में लाया गया पेपर तथा उक्त प्रिन्टिंग बाइडिंग के बाद भेजा गया पेपर भिन्न रहा है। आयातित पेपर का स्पष्ट रूप से उपयोग हुआ है तथा ऐसी स्थिति में ऐसे आयातित / लोकल एरिया में लाये गये पेपर के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से प्रवेश कर की देयता है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के परिपत्र संख्या-0910006, दिनांक 17.04.2009 के बिन्दु संख्या-1 के द्वितीय पैरा में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 में उपधारा-6 को प्रतिस्थापित करके यह व्यवस्था की गयी है कि किसी व्यापारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र में लाये गये ऐसे माल जिसको भारत के बाहर निर्यात कर दिया जाता है, पर कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण नहीं किया जायेगा। आगे यह भी व्यवस्था की गयी है कि स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के समय यह निश्चित न होने पर कि कितना माल स्थानीय क्षेत्र में बिकेगा और कितना भारत के बाहर निर्यात होगा तो पूरे माल पर प्रवेश कर देना होगा तथा माल के निर्यात / बिक्री के पश्चात भुगतान किये गये कर की वापसी / समायोजन अनुमन्य होगा।

प्रार्थी के प्रकरण में पेपर की खरीद प्रान्त बाहर से तथा प्रान्त अन्दर के दूसरे स्थानीय क्षेत्र से कच्चे माल के रूप में की जाती है। ऐसे कच्चे माल पेपर की प्रोसेसिंग करके पुस्तक, नोटबुक, लिफाफे एवं पत्रिकाओं का निर्माण करके उसकी बिक्री / निर्यात प्रान्त के बाहर अथवा देश के बाहर किया जाता है। इस प्रकरण में चूँकि कच्चे माल पेपर की खरीद की जाती है तथा उनका उपयोग नोटबुक एवं पुस्तक इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। तत्पश्चात पेपर की बिक्री न करके भिन्न वस्तु की बिक्री / निर्यात किया जाता है। अत: प्रार्थी को उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा-6 में प्राविधानित कर की वापसी / समायोजन का लाभ अनुमन्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा दूसरे स्थानीय क्षेत्र से / प्रान्त बाहर से लाये गये पेपर को कच्चे माल के रूप में '' उपयोग '' किया जाता है। '' उपयोग '' के पश्चात भिन्न वस्तु का निर्माण करके स्थानीय क्षेत्र के बाहर भेजा / निर्यात किया जाता है। उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा-6 निम्न भाँति है :-

Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) or sub-section (3), no tax shall be levied on or collected from a dealer, who brings or causes to be brought into a local area any goods which are,-

(i) consigned without using them in the local area to any place outside the State; or

.....3

(ii) sold or re-sold either in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export out of the territory of India;

प्रार्थी द्वारा कागज का उपयोग किया जाता है । उसे न तो निर्यात किया जाता है, न ही उसकी केन्द्रीय बिक्री या स्टाक ट्रान्सफर किया जाता है । अत: उन्हें उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा-6 के प्राविधानों में कोई करमुक्ति / समायोजन देय नहीं है ।

6 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 19 जुलाई, 2014

ह0 / 19.07.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।